


राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर
क्रमांक : अराज/सामान्य/2017/

दिनांक :

आदेश

श्रीमती मुकेश पूनिया, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिन्होने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू के आदेश 119 दिनांक 01.02.2017 एवं खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, विडावा, झुंझुनू के कार्यालय आदेश 240 दिनांक 02.02.2017 की पालना में दिनांक 30.06.2017 'को 'अग्रिम आदेश की प्रतीक्षा में अपनी उपस्थिति निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर में प्रस्तुत की हैं, का पदस्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा के अधीन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पद पर किया जाता है।


(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2017/ 1154

दिनांक : 11/8/17

प्रतीलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. विशिष्ट सहायक, मा.भंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा.राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर सभांग।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा को प्रेषित कर लेख हैं कि श्रीमती मुकेश पूनिया दिनांक 07.02.2017 से 29.06.2017 तक रवैच्छ पूर्वक अनुपस्थित रही हैं। अतः कार्यक्रम के उक्त अनुपस्थिति प्रकरण में प्राथमिक जांच करते हुये दोषी पाये जाने पर इनके विरुद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही करें।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू।
7. सर्वेषित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
8. प्रशासनिक अधिकारी, नर्सिंग/गोपनीय (अराज.) अनुभाग, मुख्यालय।
9. श्रीमती मुकेश पूनिया, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिन्होने दिनांक 30.06.2017 से आदेश जारी होने की दिनांक निदेशालय में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की हैं, को आज दिनांक कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी उपस्थिति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा के समक्ष प्रस्तुत करें। श्रीमती पूनिया द्वारा इस अवधि में राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश का उपभोग नहीं किया है।
10. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
11. आदेश/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर